भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India
तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय Thiruvananthapuram Regional Office
मानव संसाधन प्रबंध विभाग Human Resource Management Department

बोली पूर्व बैठक – भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए समवर्ती लेखाकारों की नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 01 अक्तूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए समवर्ती लेखाकारों की नियुक्ति के लिए निविदा 03 सितंबर 2026 को फ्लोट की गई थी। इस संबंध में, 11 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम के तीसरी मंज़िल स्थित बोर्ड रूम में बोली पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भाग लेने वाले सहभागियों की सूची निम्नानुसार हैः

(a) बैठक में भाग लेने वाले बैंक अधिकारी गण की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री शरत सी.के	उप महाप्रबंधक
2.	श्रीमती वी.रश्मि	प्रबंधक
3.	श्री हेमंत कुप्पिलि	सहायक प्रबंधक
4.	श्री रोहित राजेंद्र डोने	सहायक प्रबंधक
5.	श्री अतुल आनंद आर	सहायक

(b) बैठक में भाग लेने वाले सनदी लेखाकार फार्म प्रतिनिधियों की सूची

क्र.सं	फार्म का नाम	प्रतिनिधि का नाम
1	जेआरएस & कं.	श्री अश्विन वी गोपाल
2	रागमणि असोसिएट्स	श्री नितिन सी.
3	सन्नि जोसफ & असोसिएट्स	सुश्री पवित्रा के.वी

2. श्री शरत सी के, उमप्र ने बैठक में सहभागियों का स्वागत किया। श्रीमती वी रश्मि, प्रबंधक ने संक्षिप्त रूप से समवर्ती लेखाकारों की भूमिका का संक्षिप्त परिचय देते हुए निविदा दस्तावेज़ की मुख्य निबंधन और शर्तों पर प्रकाश डाला। इसके बाद प्रतिभागियों से निविदा के बारे में प्रश्न मांगे गए। फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई प्रश्नों और बैंक के स्पष्टीकरणों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

क्र.सं	प्रश्न	बैंक का स्पष्टीकरण
i.	समवर्ती लेखा परीक्षकों की तैनाती के लिए आवश्यक मानव-दिवसों की संख्या के संबंध में स्पष्टीकरण।	कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम कार्यालय के सभी कार्य दिवसों पर तैनात करना आवश्यक है। यह सूचित किया गया

क्र.सं	प्रश्न	बैंक का स्पष्टीकरण
		कि एक कैलेंडर वर्ष के लिए क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) के कार्य दिवस आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/) पर "बैंक अवकाश" लिंक से पता लगाए जा सकते हैं।
ii.	बोली लगाने वाले एल 1 के बारे में स्पष्टीकरण।	तकनीकी और वित्तीय बोलियों को 70:30 के अनुपात में भार दिया जाता है और कार्य उच्चतम संयुक्त अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता को दिया जाएगा (संदर्भ: पैरा 9, निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 16)।
iii.	स्पष्टीकरण कि क्या कार्यालय की आकस्मिकताओं के कारण मूल रूप से तैनात कर्मचारियों के स्थान पर स्थानापन्न कर्मचारियों को तैनात करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।	फर्म मूल रूप से तैनात कर्मचारियों की अनुपस्थिति में समान योग्यता/ अनुभव वाले उपयुक्त स्थानापन्न कर्मचारियों को तैनात कर सकती हैं। जुर्माना खंड तभी लागू होगा जब तैनात कर्मचारियों (संबंधित योग्यताओं युक्त) की संख्या निविदा दस्तावेज में निर्धारित संख्या से कम होगी। (निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 8, पृष्ठ 24)

3. फर्मों को यह भी सुझाव दिया गया कि सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in) में अंतिम समय में प्रस्तुति से बचने के लिए बोली की अंतिम तिथि से पहले समय पर निविदा दस्तावेज अपलोड करें। फर्मों को यह भी सूचित किया गया कि सफल निविदाकर्ता को अनुबंध देने पर सफल निविदाकर्ता के अलावा अन्य सभी निविदाओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

4. बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि निविदा दस्तावेज में इंगित विवरण के साथ-साथ बोली पूर्व बैठक के दौरान बैंक द्वारा प्रदान किए गए उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण निविदा/संविदा का हिस्सा होंगे।

5. बैठक 11:30 बजे समाप्त हुई।

महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम